



नई दिल्ली, लखनऊ और रायपुर से प्रकाशित

पायनियर



सरकार सामाजिक
न्याय के लिए
प्रतिबद्ध
राष्ट्रीय-10

www.dailypioneer.com

उत्तर से दक्षिण तक मानसून ने मचाई भारी तबाही

राष्ट्रीय राजधानी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार शाम हुई रिफॉर्ड तोड़ बारिश ने पिछले 14 वर्षों में जुलाई में एक दिन में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। बारिश के कारण हर तरफ जलभराव हो गया है, सड़कों पर पानी भर जाने के कारण यातायात व्यवस्था पर असर पड़ा है। कई जगहों पर देर रात तक ट्रैफिक जाम रहा। वहीं झमाझम बारिश ने दिल्ली एनसीआर में कम से कम 11 लोगों की जान ले ली, जिसमें एक माँ और उसका तीन वर्षीय बच्चा भी शामिल है, जो पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में निर्माणाधीन नाले में जलभराव से गिर गए। राष्ट्रीय राजधानी के प्राथमिक मौसम केंद्र, सफदरजंग ने 24 घंटे के भीतर 108 मिलीमीटर बारिश दर्ज की, जो 14 वर्षों में जुलाई में एक दिन में हुई सबसे अधिक बारिश है। बुधवार देर रात शुरू हुई इस बारिश ने शहर की सड़कों को डुबो दिया और खासकर लुटियन दिल्ली में यातायात जाम हो गया था। दिल्ली एनसीआर में हुई भारी बारिश के कारण नए संसद भवन की लॉबी में भी पानी भर गया। इसके अलावा, परिसर के आसपास, खासकर नई संसद के मकर द्वार के पास जलभराव देखा गया, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने नए संसद भवन की लॉबी में पानी के रिसाव को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और मजबूत पुराने संसद भवन की सराहना की। एक बयान में लोकसभा सचिवालय ने कहा कि नए संसद भवन में पानी का मामूली रिसाव लॉबी के ऊपर कांच के गुंबदों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में चिपकने वाली सामग्री के हट जाने के कारण (शेप पेज 9)



उत्तराखण्ड के हिमचोली के पास जंगलवट्टी में बादल फटने के बाद फंसे लोगों को बाहर निकालते एसडीआरएफ कर्मी



शिमला के पास रामपुर में बादल फटने के बाद राहत और बचाव कार्य में लगे कर्मचारी

हिमाचल/उत्तराखंड

शिमला। देहरादून

भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश के कुलू में इमारतें ढह गईं, सड़कें बह गईं। इसके चलते तीर्थयात्रियों को हवाई मार्ग से निकाला गया। ये दृश्य गुरुवार सुबह उत्तराखंड और पड़ोसी हिमालयी प्रदेश में दिखे, जब बादल फटने के कारण इन राज्यों में भारी बारिश हुई। भारी बारिश और बादल फटने की कई घटनाओं के कारण उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई, 50 लापता हैं और सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर फंसे 1,500 से अधिक तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जो कई स्थानों पर चट्टानों के कारण अवरुद्ध हो गया है। तीर्थयात्रियों को हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंसों से देहरादून, पुरिस और जिला प्रशासन की बचाव टीमों की मदद से बचाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, लिनचोली और भीमबली से हेलीकॉप्टर द्वारा 425 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि बचाव दलों की मदद से विभिन्न स्थानों से 1100 तीर्थयात्री पैदल सोनप्रयाग पहुंचे हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि बुधवार रात भारी बारिश के कारण गौरीकुंड-केदारनाथ यात्रा मार्ग का 20-25 मीटर हिस्सा बह जाने से तीर्थयात्री गौरीकुंड-केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भीमबली से आगे फंस गए थे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात करके हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रदेश में एनडीआरएफ की टीमों द्वारा राहत एवं बचाव कार्य किए जा रहे हैं वहीं मौसम विभाग ने फिर से बारिश की चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे तबाही के वीडियो लोगों को भयभीत कर रहे हैं। अधिकारिक जानकारी के अनुसार शिमला में 35, मंडी में नौ और कुलू में सात लोग लापता हैं। कुलू के जाओन व निरमंड में बादल फटने से श्रीखंड यात्रा का बेस कैंप प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा तबाही शिमला जिला के रामपुर इलाके के झाकड़ी में हुई है। (शेप पेज 9)

वायनाड

एजेंसी। वायनाड

केरल का वायनाड जिला दक्षिण-पश्चिम मानसून का कहर झेल रहा है। मुंडक्कई बस्ती में मरने वालों का आंकड़ा गुरुवार शाम 6 बजे तक 283 के पार पहुंच गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि वायनाड जिले में भूस्खलन और बाढ़ ने तबाही मचाई है, जिसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। जिले में लगातार हो रही बारिश ने बचाव कार्यों की गति को प्रभावित

किया है, क्योंकि आपदा प्रतिक्रिया दल के सदस्यों को कोंचड़, पानी, चट्टानों और पानी से होकर गुजरना मुश्किल हो रहा है। पिछले तीन दिनों के बचाव अभियान के दौरान 283 शव मलबे से निकाले गए हैं। लेकिन बचाव कर्मियों को नदियों और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से मिले क्षत-विक्षत शवों के बारे में अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। मंगलवार को हुए भूस्खलन में लापता हुए मुंडक्कई के लगभग 240 लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

भारतीय सेना के इंजीनियरों ने बचाव अभियान को आसान बनाने के लिए चालियार नदी पर बेली ब्रिज



वायनाड में राहत और बचाव कार्य में लगे सेना के जवान

बनाने का काम लगभग पूरा कर लिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया दल के 500 से अधिक जवान और स्वयंसेवक चट्टानों और मिट्टी के नीचे फंसे लोगों को बचाने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री

विजयन ने मंडिया से बातचीत में कहा कि सेना के अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि मुंडक्कई में किसी भी जीवित प्राणी के मिलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पूरी आबादी भूस्खलन के कारण आए सीलाब में डूब गई है या बह गई है। मुंडक्कई के सभी 348 घर बाढ़ के पानी में बह गए। बाढ़ के बारे में चेतावनी जारी करने का काम सॉपी गई एजेंसी केंद्रीय जल आयोग ने राज्य के पांच जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की है। विजयन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बाढ़ और भूस्खलन के बारे में समय पर चेतावनी (शेप पेज 9)



उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार के व्यवहार पर जताई नाराजगी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि क्या इस तरह के गुंडे को मुख्यमंत्री आवास में काम करना चाहिए। बिभव ने इस साल मई में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित रूप से हमला किया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुष्या की पीठ ने कुमार की जमानत याचिका पर अगले बुधवार को सुनवाई करेगा। पीठ ने बिभव कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी से कहा कि अदालत दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज की गई घटना के विवरण से हैरान है। बिभव कुमार ने मामले में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 12 जुलाई के आदेश की चुनौती दी है और दावा किया है कि उसके खिलाफ आरोप झूठे हैं। उसने यह भी कहा है कि जांच पूरी होने के कारण अब उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है। शीर्ष अदालत ने बिभव कुमार की याचिका पर दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी किया। पीठ ने सिंघवी से पूछा, क्या मुख्यमंत्री आवास एक निजी बंगला है, क्या इस तरह के गुंडे को मुख्यमंत्री आवास में काम करना चाहिए। सिंघवी ने इस पर कहा कि चोटें गंभीर नहीं थीं और 13 मई की घटना के तीन दिन बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अपनी तीखी टिप्पणियों में, पीठ ने सिंघवी से यह भी पूछा कि राज्यसभा सदस्य मालीवाल का हमले की घटना के दौरान पीसीआर को कॉल करना क्या संकेत देता है। पीठ ने कहा, हम हर दिन भाड़े के हत्यारों, हत्यारों, लुट्टों को जमानत देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि किस तरह की घटना है। पीठ ने कहा कि जिस तरह से यह घटना हुई, उससे वह परेशान है। पीठ ने कहा, बिभव कुमार ने (शेप पेज 9)

राज्यों को एससी कोटा को उप वर्गीकृत करने का अधिकार

राजेश कुमार। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने बुधस्पतिवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, ताकि उन जातियों को आरक्षण प्रदान किया जा सके जो सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक पिछड़ी हैं। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सात-सदस्यीय संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत के निर्णय के जरिए ईवी चिन्मैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार मामले में शीर्ष अदालत की पांच-सदस्यीय पीठ के 2014 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों (एससी) के किसी उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि वे अपने आप में स्वजातीय समूह हैं। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) ने अपने 140 पृष्ठ के फैसले में कहा, संविधान के अनुच्छेद 15 (धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव न करना) और 16 (सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता) के तहत सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए सामाजिक



पिछड़ेपन की विभिन्न श्रेणियों को पहचान करने और पुनर्गठन की स्थिति में विशेष प्रावधान (जैसे आरक्षण देने) के लिए स्वतंत्र है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ऐतिहासिक और अनुभवजन्य साक्ष्य दर्शाते हैं कि अनुसूचित जातियां सामाजिक रूप से विजातीय वर्ग हैं। इस प्रकार, अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य अनुसूचित जातियों को आगे वर्गीकृत कर सकता है यदि (ए) भेदभाव के लिए एक तर्कसंगत सिद्धांत है और (बी) तर्कसंगत सिद्धांत का उप-वर्गीकरण के उद्देश्य के साथ संबंध है। इस विवादास्पद मुद्दे पर कुल 565 पृष्ठों के छह फैसले लिखे गए। प्रधान न्यायाधीश ने अपनी ओर से और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की ओर से फैसले लिखे, (शेप पेज 9)

रेल मंत्री ने हाल के हादसों पर कदम उठाने का दिया भरोसा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

हाल के दिनों में बढ़ती ट्रेन दुर्घटनाओं और पट्टी से उतरने की घटनाओं के कारण आलोचनाओं का सामना कर रहे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधस्पतिवार को आश्वासन दिया कि सरकार स्वचालित ट्रेन-सुरक्षा प्रणाली कवच को सही तरीके से लागू करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। हालांकि वैष्णव ने पूरे रेलवे नेटवर्क पर कवच को लागू करने के लिए एक समयसीमा नहीं बताई, लेकिन उल्लेख किया कि बहुत छोटे रेलवे नेटवर्क वाले छोटे देशों को स्वचालित ट्रेन-सुरक्षा प्रणाली को लागू करने में 20 साल से अधिक का समय लगा।

वैष्णव ने अपने लंबे भाषण में कहा, मैं आपको आश्चर्य कर सकता हूँ कि सुरक्षा प्रणाली कवच को लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी। हम दिन-रात कड़ी मेहनत करेंगे और हर किलोमीटर पर कवच लगाने का हर संभव प्रयास करेंगे। इस दौरान उन्होंने प्रतिदिन लगभग 20,000 ट्रेनों में दो करोड़ यात्रियों को ले जाने वाले 12 लाख रेलवे कर्मचारियों के प्रयासों की भी प्रशंसा की। नौकरशाह से राजनेता बने वैष्णव ने विपक्षी सदस्यों को जवाब देते हुए अपना आभा भी खो दिया, जो उन्हें 'डिरेलमेंट मिनिस्टर' और 'रील मिनिस्टर' जैसे शब्दों से घेर रहे थे। वैष्णव ने विपक्षी कांग्रेस और



उसकी सोशल मीडिया ट्रेल आर्मी पर रेलवे नेटवर्क पर हर छोटी घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाते हुए कहा, ताकि हर रोज रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाले दो करोड़ से ज्यादा यात्रियों में डर की भावना पैदा की जा सके। मंत्री ने कहा,

कांग्रेस द्वारा गलत सूचना फैलाने के प्रयास सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी द्वारा अयोध्या रेलवे स्टेशन पर हुई घटनाओं के बारे में गलत जानकारी फैलाने का प्रयास किया गया। मंत्री ने पिछले महीने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलटों के साथ कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बैठक का स्पष्ट संदर्भ दिया, जिससे विपक्षी सदस्य खड़े हो गए। वैष्णव ने कहा, जो लोग लोको पायलटों के साथ रील बनाने में व्यस्त थे, यूपीए शासन के दौरान रिंग रूम में एक भी एयर कंडीशनर नहीं लगाया गया था और एयर-कंडीशनर केबिन वाले कोई लोकोमोटिव नहीं थे। (शेप पेज 9)

श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद में जारी रहेगी सुनवाई: हाईकोर्ट

एजेंसी। इलाहाबाद

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में बुधस्पतिवार को कहा कि यह वाद सुनवाई योग्य है। अदालत ने इस वाद में मुद्दे तय करने के लिए 12 अगस्त की तिथि निर्धारित की। वाद की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने मुकदमे की पोषणीयता के संबंध में मुस्लिम पक्ष की दलीलें खारिज कर दीं। उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने न्यायालय परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि इन वादों की पोषणीयता को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष की ओर से जो भी दलीलें दी गई थीं, वे अदालत द्वारा खारिज कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय सभी 18 मामलों पर सुनवाई जारी रखेगा। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा, अब हम उच्चतम न्यायालय जाकर माननीय अदालत से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सर्वेक्षण के आदेश पर लगी रोक हटाने की मांग करेंगे। हम आज के निर्णय के संबंध में (शेप पेज 9)

पूजा खेडकर को नहीं मिली अग्रिम जमानत

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की पूर्व प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से बुधस्पतिवार को इनकार कर दिया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। उन पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में किसी ने खेडकर की मदद की थी। न्यायाधीश ने मामले में जांच का दायरा भी बढ़ाया और दिल्ली पुलिस को यह जांच करने का निर्देश दिया कि क्या अन्य उम्मीदवारों ने बिना

(ओबीसी) तथा पीडब्ल्यूडी (दिव्यांगजन) कोटा का लाभ उठाने का आरोप है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार जंगला ने कहा कि दिल्ली पुलिस को यह भी जांच करनी चाहिए कि क्या संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में किसी ने खेडकर की मदद की थी। न्यायाधीश ने मामले में जांच का दायरा भी बढ़ाया और दिल्ली पुलिस को यह जांच करने का निर्देश दिया कि क्या अन्य उम्मीदवारों ने बिना

पात्रता के ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कोटे के तहत लाभ उठाया है। यूपीएससी ने बुधवार को खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें नया दस्तावेज बनाने में हिस्सा लेने से भी रोक दिया। न्यायाधीश ने बुधवार को खेडकर द्वारा दायर अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। खेडकर ने अपने वकील के माध्यम से दायर अर्जी में दावा किया कि उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है।

पात्रता के ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कोटे के तहत लाभ उठाया है। यूपीएससी ने बुधवार को खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें नया दस्तावेज बनाने में हिस्सा लेने से भी रोक दिया। न्यायाधीश ने बुधवार को खेडकर द्वारा दायर अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। खेडकर ने अपने वकील के माध्यम से दायर अर्जी में दावा किया कि उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है।

बीएसएफ महिला कर्मी ने अकेले बांग्लादेशी घुसपैटियों को खदेड़ा

पायनियर समाचार सेवा। कोलकाता

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की 689वीं बटालियन की एक महिला सिपाही ने नादिया जिले के राणाघाट सीमा चौकी पर अकेले ही बांग्लादेशी घुसपैटियों के एक हथियारबंद गिरोह को खदेड़ दिया, अर्धसैनिक संगठन के सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार सीसीटीवी निगरान कक्ष की प्रभारी महिला अधिकारी ने 30 जुलाई को भारतीय सीमा की तरफ 14 लोगों को आते देखा। वह तुरंत उनकी तरफ दौड़ी और उन्हें रुकने और वापस लौटने का निर्देश दिया। हालांकि, चाकुओं और अन्य घातक हथियारों से लैस लोग आगे बढ़ते घुसपैटियों ने बात नहीं मानी और उनपर हमला कर दिया। बहादुर महिला बीएसएफ कर्मियों ने जवाबी हमला किया, जबकि एक साथी



जवान ने घुसपैटियों को डराने के लिए दूर से एक स्टन ग्रेनेड दागा। सूत्रों ने बताया कि जब घुसपैटियां बेखोज होकर अंदर आते रहे तो महिला कांस्टेबल ने अपनी राइफल से एक गोली चलाई जिससे घुसपैटिए डर गए और फिर अपनी तरफ भाग

गए। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह में यह घुसपैटि की तीसरी कोशिश थी जिसे नाकाम कर दिया गया। इस मुद्दे का जिक्र करते हुए बांगाल के विपक्षी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी के शासन में घुसपैटि चरम पर थी और यह तृणमूल कांग्रेस ही थी जो रोहिंग्याओं सहित अपने वोट आधार को बढ़ाने के लिए अवैध घुसपैटि में लिस थी। अधिकारी ने पहले कहा था, यह वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने घुसपैटि में सलिसता के लिए वामपंथी सरकार के खिलाफ बहादुरी से विरोध किया था और अब यह उनकी अपनी सरकार है कि रोहिंग्या बड़ी संख्या में घुसपैटि कर रहे हैं और देश के अन्य हिस्सों में पलायन कर कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा, यह वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने घुसपैटि में लिस होने के लिए वामपंथी सरकार के खिलाफ बहादुरी से विरोध किया था और अब यही रोहिंग्या बड़ी संख्या में घुसपैटि कर रहे हैं और देश के अन्य हिस्सों में पलायन कर रहे हैं, जिससे कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो रही है।

स्वप्निल ने निशानेबाजी में भारत को तीसरा कांस्य पदक दिलाया

भाषा। शेराटा

तेज होती दिल की धड़कनों को थामकर खाली पेट रेंज पर उठे भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने फोकस बनाए रखते हुए शानदार वापसी की और देश को ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल श्री पोजिशंस में पहली बार कांस्य पदक दिलाया। क्वालीफिकेशन में सातवें नंबर पर रहे स्वप्निल ने आठ निशानेबाजों के फाइनल में 451.4 स्कोर करके तीसरा स्थान हासिल किया। एक समय वह छठे स्थान पर थे जिसके बाद उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया। भारत का इन खेलों में यह तीसरा कांस्य है। इससे पहले मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर



पिस्टल और सर्वजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में कांस्य जीता था। भारत के ओलंपिक इतिहास में पहली बार निशानेबाजों ने तीन पदक एक ही खेलों में जीते हैं। कुसाले ने पदक

जीतने के बाद कहा, मैंने कुछ खाया नहीं है और पेट में गुडगुड़ हो रही थी। मैंने ब्लैक टी पी और यहाँ आ गया। हर मैच से पहले रात को मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने कहा, आज दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैंने श्वास पर नियंत्रण रखा और कुछ अलग करने की कोशिश नहीं की। इस स्तर पर सभी खिलाड़ी एक जैसे होते हैं। चीन के लियू युकुन (463.6) ने स्वर्ण और यूक्रेन के सेरीही कुक्लिन (461.3) ने रजत पदक जीता। पिछली बार भारतीय निशानेबाज लंदन ओलंपिक 50 मीटर राइफल में फाइनल में पहुंचा था जब जायदीप करमाकर 50 मीटर राइफल प्रोन में चौथे स्थान पर रहे थे। अब यह स्वर्ण ओलंपिक में नहीं है।

बदला जाएगा दशकों पुराना ड्रेनेज सिस्टम

आप सरकार का बड़ा फैसला

महापौर ने कहा- अफसरों से सूची और लागत अनुमान लगाने के लिए निर्देश



प्रेस वार्ता में मेयर शैली ओबेरॉय, उप-महापौर आले मोहम्मद और नेता सदन मुकेश गोयल।

नियम उल्लंघन पर बेसमेंट होंगे सील: मुकेश

एमसीडी के नेता सदन मुकेश गोयल ने कहा कि ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना को देखते हुए दिल्ली नगर निगम की ओर से कई आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इसके तहत, दिल्ली में नियमों का उल्लंघन करते हुए बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर को सील किया जा रहा है। साथ ही, नालों पर से अतिक्रमण हटाकर पानी निकलने का रास्ता साफ किया जाएगा। राजेंद्र नगर के अलावा, मुखर्जी नगर और लक्ष्मी नगर जैसे इलाकों में जहां बच्चे कोचिंग लेते हैं, वहां भी ऐसी समस्या है।

करेंगे और पूरी दिल्ली में फुटपाथ और बंद पड़े नालों से अतिक्रमण हटाया जाएगा, ताकि राजेंद्र नगर जैसी घटना दोबारा न हो।

उन्होंने कहा, हाल ही में राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भरने से तीन बच्चों की जान चली गई थी। दिल्ली में अभी भी मानसून जारी है और जगह-जगह जलभराव की समस्या

हो रही है। इसे देखते हुए अधिकारियों को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं।

इसके तहत सबसे पहले दिल्ली में जहां-जहां बेसमेंट में अवैध तरीके से कोचिंग सेंटर या लाइब्रेरी चल रही है, उन्हें लगातार सील किया जा रहा है, और आगे भी यह काम जारी रहेगा। दूसरा, राजेंद्र नगर के केस में अतिक्रमण का मामला भी सामने

वार्ड स्तर पर सूची तैयार करने के निर्देश

डॉ. शैली ओबेरॉय ने बताया कि राजेंद्र नगर की घटना को देखते हुए एमसीडी सदन के नेता मुकेश गोयल और डिप्टी मेयर आले इकबाल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सभी अधिकारियों को दिल्ली में वार्ड स्तर पर उन नालों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है।

आया है। पूरी दिल्ली में फुटपाथ और नालों पर से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। साथ ही, अतिक्रमण के कारण बंद सभी नालों को खोला जाएगा, ताकि पानी की निकासी हो सके। तीसरा, भारी

खुले तार-केबल पर सर्वे कर होगी कार्रवाई

नई दिल्ली। पूरी दिल्ली में जहां भी खुले तार और केबल हैं, उनका सर्वे किया जाएगा और एनडीपीएस और बीएसईएस के साथ मिलकर उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र को करंट लगने से मौत हो गई थी। साथ ही, दिल्ली के कई इलाकों में पुराने बैरल हैं, जहां सीवर और नाले का पानी एक साथ बहता है। इन इलाकों में जलजमाव की समस्या सबसे ज्यादा होती है। इसलिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन इलाकों का सर्वे कर तुरंत कार्रवाई करें ताकि जलभराव की समस्या को कम किया जा सके।

बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो रहा है। ऐसे सभी प्लॉट्स जहां जल भराव की अधिक समस्या है, वहां पोर्टेबल पंप लगाए जाएंगे। अब तक जहां भी जलजमाव की समस्या आई है वहां पहले से ही पोर्टेबल पंप लगा दिए गए हैं। मेयर ने बताया कि मैंने एमसीडी कमिश्नर को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मानसून तक एमसीडी के सभी अधिकारी और स्टाफ 24 घंटे काम करेंगे। अलग-अलग शिफ्ट में उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, ताकि दिल्ली में राजेंद्र नगर जैसी घटना दोबारा न हो।

मासूम को गुरुवार से जाना था प्ले स्कूल

● बेटे को बचाते हुए मां भी डूबी, दोनों की हुई थी मौत

● घटना के बाद मयूर विहार में लोगों ने किया प्रदर्शन



प्रियांश की फाइल फोटो



तनुजा की फाइल फोटो

मासूम प्रियांश की आंखों में पहले दिन प्ले स्कूल जाने के सपने थे। मां अपने बेटे के उज्वल भविष्य को कामना कर रही थी, मगर नियति को कुछ ओर ही मंजूर था। प्रियांश के पिता गोविन्द विष्ट ने बताया कि उन्होंने बेटे का प्ले स्कूल में एडमिशन कराया था और गुरुवार से उसे भेजने की तैयारी चल रही थी।

मां तनुजा सब्जी और प्रियांश के लिए कपड़े लेने सप्ताहिक बाजार गई थी। प्रियांश के स्कूल में पहले दिन को लेकर परिवार में सब खुश थे। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में निर्माणाधीन नाले में गिरे बच्चे को बचाने में मां-बेटे की मौत का मामला सामने आया है।

गुरुवार देर रात दोनों के शवों को निकाला गया, स्थानीय नागरिकों ने डीडीए और एमसीडी की खामियों को जवाब देते हुए गुस्सा जाहिर किया। मिला जानकारी के अनुसार मृतक मां-बेटे की पहचान प्रियांश (3),

तनुजा विष्ट (23) के रूप में हुई है। मृतका के पति गोविन्द विष्ट ने बताया सुचना के बाद हम मौके पर पहुंचे और करीब 11 बजे दोनों को करीब 550 मीटर की दूरी से निकाला गया, दोनों को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मयूर विहार फेज-3 में डीडीए के निर्माणाधीन नाले में गिर हुई मां-बेटे की मौत के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को विरोध प्रदर्शन किया। आप विधायक कुलदीप कुमार और रोहित मेहरौलिया के नेतृत्व में घटना स्थल पर भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने एलजी और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ता हाथ में एलजी इस्तीफा दो, दोषी अफसरों पर कार्रवाई करो समेत अन्य नारे लिखी तख्तियां लिए थे। इस दौरान कुलदीप कुमार ने कहा कि डीडीए की लापरवाही से महिला व उसके ढाई साल के बच्चे

की जान गई है। यह हादसा नहीं, हत्या है, फिर भी एलजी ने दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि आप इन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने और एलजी को अपने पद से इस्तीफा देने की मांग करती है। वहीं, रोहित ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। कुलदीप कुमार ने कहा कि मयूर विहार फेज 3 में केरला स्कूल की रोड पर डीडीए का एक गहरा नाला है। कई बार कहने के बाद डीडीए ने इस नाले का पुनर्निर्माण शुरू किया था। लेकिन डीडीए के अधिकारियों ने जरा भी सावधानी नहीं बरती। ये नाला ढका नहीं गया था और न ही इसकी मास्किंग या बैरिकेडिंग की गई थी। जिसके कारण यह हादसा हुआ। जलभराव के बाद नाले का पता नहीं चलने पर पहले बच्चा नाले में गिर गया और जब उसकी मां उसे बचाने गईं, तो वह भी नाले गिर गई।

आप के नैतिक पतन की पोल खोली : विजेंद्र गुप्ता

स्वाति मारपीट मामले

● भाजपा नेता ने कहा, बिभ्व ने महिला पर अत्याचार की पराकाष्ठा पार की



नैतिकता को कोर्ट ने आज कटघरे में खड़ा कर दिया। कोर्ट का कहना है कि बड़े-बड़े अपराधियों को भी जमानत दी जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास में जानबूझकर की गई महिला के साथ बदसलूकी नैतिकता का घोर पतन है।

गुप्ता ने बताया कि मालीवाल द्वारा एफआईआर में लिखा है कि उन्होंने महिलाओं की विशेष परिस्थिति का हवाला देते हुए विभ्व से गुहार लगाई कि मारना बंद करो, लेकिन वह रुका नहीं। यह अमानवीयता की पराकाष्ठा थी। गुप्ता ने कहा कि इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, वह कम है, और

केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर जवाब दें : कमलजीत सहरावत

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा की महामंत्री एवं सांसद कमलजीत सहरावत ने मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ आवास पर विभ्व कुमार द्वारा की गई बदसलूकी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर आप सरकार को घेरते हुए केजरीवाल से जवाब देने को कहा है। सहरावत ने कहा कि यह शर्मनाक है कि कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर सीएम आवास में गुंडे भी रहते हैं क्या क्योंकि बिभ्व कुमार का बर्ताव किसी गुंडे की तरह का व्यवहार था।



ऐसे अपराधी को सबक मिलना ही चाहिए ताकि समाज को यह संदेश जाए कि सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। गुप्ता ने कहा कि इस सबको जानने के बाद भी लोकसभा चुनाव प्रचार में केजरीवाल के साथ विभ्व का रहना यह दर्शाता है कि मालीवाल के साथ जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, वह केजरीवाल की ही साजिश का हिस्सा

था। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में लूट-खसोट, भ्रष्टाचार, घोटाले, लापरवाही, निकासपन और अराजकता के बाद, केजरीवाल सरकार ने निहित स्वार्थ के लिए महिला उरपीडन की इस घटना को अंजाम दिया है। ज्ञात हो कि केजरीवाल के करीबी विभ्व कुमार स्वाति के साथ मारपीट मामले में जेल में बंद है। पिछले दिनों उन्होंने जमानत मांगी थी।

एसयूवी चालके के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप हटा

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार को यहाँ की एक अदालत को बताया कि उसने कोचिंग सेंटर में तीन विद्यार्थियों की मौत के मामले में एसयूवी चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप वापस ले लिया गया है।

जांच अधिकारी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार को आरोप वापस लेने के फैसले की जानकारी दी। सत्र न्यायाधीश कुमार कार चालक मनुज कथुरिया को बुधवार को जमानत देने से मजिस्ट्रेट अदालत के इनकार के खिलाफ

दायर अपील पर सुनवाई कर रहे हैं। न्यायाधीश ने कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के बाद डूबने से तीन विद्यार्थियों की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए चालक की दूसरी जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।



दरियागंज स्थित हैपी स्कूल के दीवार गिरने से सड़क पर खड़े कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। फोटो: रंजन डिमरी

कोचिंग सेंटर हादसा में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन पांच दिनों में जारी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के राजेंद्र नगर में स्थित कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत के विरोध में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन बृहस्पतिवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। एक दिन पहले भारी बारिश के कारण इस इलाके में फिर से जलभराव हो गया था। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे गौतम ने कहा, हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। बुधवार को हुई बारिश ने सभी को दिखा दिया कि इस क्षेत्र में ऐसी परिस्थितियों में हमें किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

गौतम बुधवार को प्रदर्शनकारी छात्रों द्वारा गठित 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा भी हैं, जो विरोध प्रदर्शन की भावी रणनीति तय करेगी और संबंधित अधिकारियों से संवाद करेगी। दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने छात्रों की चिंताओं को दूर करने और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विरोध स्थल का दौरा किया।

नाला सफाई में सैकड़ों करोड़ रुपये का घोटाला : सचदेवा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बृहस्पतिवार को कहा कि राजधानी में नाला सफाई के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है, उन्होंने कहा कि दो-तीन सालों में दिल्ली की सीवर व्यवस्था एवं बरसाती पानी की निकासी पूरी तरह चरमरा गई है, हलकी सी बारिश आने पर भी दिल्ली की सड़कें जलमग्न हो जाती हैं।

पत्रकार वार्ता में वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 1998 के बाद से भारतीय

● भाजपा नेता इस मामले में सीबीआई को जरूरी बताया

जनता पार्टी का शासन नहीं रहा है पर समय-समय पर दिल्ली नगर निगम के माध्यम से हम लोक सेवा में समर्पित रहे और छोटे नालों और कालोनियों की नालियों की सफाई हमारे कार्यकाल में पूरी निष्ठा से की जाती थी पर गत दो वर्षों में हमने देखा कि मुख्य पालन हो या कालोनियों की गलियां सभी में एक बारबर जल भराव की स्थिति देखी जा रही है।

एमसीडी को केंद्र दें 5,200 करोड़ : भारद्वाज

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के लिए 5,200 करोड़ रुपए की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि अन्य शहरी स्थानीय निकायों की तरह एमसीडी को भी केंद्र से अनुदान मिलना चाहिए। यहाँ महाराष्ट्र शैली ओबेरॉय के साथ एक पत्रकार वार्ता में शहरी विकास मंत्री ने कहा कि एमसीडी को नालियों और सड़कों जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्रीय अनुदान की आवश्यकता है।

भारद्वाज ने कहा कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के शहरी स्थानीय निकायों को केंद्र से अनुदान मिलता है। उन्होंने कहा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। अन्य शहरी स्थानीय निकायों की तरह दिल्ली नगर निगम को भी केंद्र से अनुदान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, एमसीडी को केंद्र से 5,200 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान मिलना चाहिए। मैं इस बारे

● मंत्री ने कहा, अनुदान के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर करेंगे मांग

में केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखूंगा। इस राशि की मांग करने का कारण बताते हुए भारद्वाज ने कहा, देश भर के शहरी स्थानीय निकायों को पिछले पांच वर्षों में केंद्र से 1.21 लाख करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल शहरी आबादी 37.7 करोड़ है। उन्होंने कहा, इन आँकड़ों के अनुसार अन्य राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों को केंद्र से प्रति व्यक्ति 3,211 रुपए प्राप्त हुए। उन्होंने कहा, इसी तरह जनगणना के अनुसार दिल्ली की शहरी आबादी 1.63 करोड़ है। इसलिए दिल्ली को अपने शहरी स्थानीय निकाय के लिए 5,243 करोड़ रुपए मिलने चाहिए।



बिना खिड़की के छोटे कमरों में परवान चढ़ने की कोशिश करता है आईएसएस बनने का सपना

● रहने के लिए बेसमेंट में भी 15,000 से 20,000 रुपये प्रति माह देने को मजबूर

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

छोटे-छोटे, खिड़की रहित कमरों में पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने वाले, सिविल सेवा अभ्यर्थियों की आंखों में पलतय यह सपना उड़ रहा है कि एक दिन उनका भी आशा है जब वे अफसर बन जाएंगे और अपनी पसंदीदा जिंदगी जिएंगे।

ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भरने से तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत की घटना ने उन खराब परिस्थितियों को उजागर किया है जिसमें कई सिविल सेवा उम्मीदवार आईएसएस अधिकारी बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए विषम हालात में रहते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर हो या मुखर्जी नगर, दिल्ली के विभिन्न कोचिंग केंद्र की कहानी एक जैसी ही है। पिछले डेढ़ साल से राजेंद्र नगर में ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरे में रह रहे उत्तर प्रदेश के एक सिविल सेवा अभ्यर्थी ने कहा, राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में लगभग हर मकान के मालिक ने अपने घर को पेइंग गेस्ट आवास में बदल दिया है।

मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में कक्षाएं लेने वाले 28 वर्षीय यूपीएससी अभ्यर्थी ने कहा कि छात्रों को संख्या बहुत ज्यादा है और जगह कम है इसलिए गरीब परिवारों के लोगों के पास रहने के लिए बहुत कम



बेसमेंट में बारिश के कारण पानी भर जाने से सिविल सेवा के तीन अभ्यर्थियों की मौत की घटना बाद छात्रों ने कहा कि वे ऐसे बेसमेंट में रहकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इसके बावजूद वे संघर्ष का महिमामंडन करते हैं। एक छात्र ने कहा, यह सिविल सेवाओं का आकर्षण है कि ऐसी समस्याओं को नजर अंदाज कर दिया जाता है। न केवल पीजी में भीड़ है बल्कि कक्षाओं का भी यही हाल है। उचित सुविधाएं नहीं होने के बावजूद छात्रों की संख्या बढ़ती ही जाती है। कक्षा में 100 छात्र होने पर भी मालिक 120 से 125 से अधिक छात्रों को समायोजित करने का प्रयास करते हैं। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र ने कहा, जो लोग बैठने या कक्षा में आने में असमर्थ हैं, उन्हें रिकार्ड की गई वीडियो सामग्री दी जाती है जिसका वे बेसमेंट की लाइब्रेरी में बैठ कर अध्ययन करते हैं। बेसमेंट को पीजी के रूप में किराए पर देने का गैरकानूनी है, क्योंकि दिल्ली के मास्टर प्लान (एमपीडी) 2021 में ऐसी जगहों का केवल भंडारण, पार्किंग और उपयोगिता क्षेत्रों के तौर पर उपयोग करने की अनुमति है। असम के एक अन्य आईएसएस अभ्यर्थी ने कहा, अचानक सरकार सख्त हो गई है, लेकिन यह सिर्फ कुछ समय की बात है क्योंकि एक घटना घटी है। हकीकत में कुछ भी लागू नहीं किया जाएगा।

सरिता विहार अंडरपास से ओखला एस्टेट रोड का होगा अपग्रेडेशन



पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दक्षिण पूर्वी दिल्ली में सरिता विहार अंडरपास से गुरु रविदास मार्ग टी-पॉइंट के बीच ओखला एस्टेट रोड का अपग्रेडेशन और सौंदर्यीकरण होगा। ये सड़क तुगलकाबाद, ओखला, कालकाजी विधानसभा को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण रोड। यहां से रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होती है। लोक निर्माण

● पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने परियोजना को दी मंजूरी

● लगभग 3 किमी लंबी सड़क तुगलकाबाद, ओखला, कालकाजी को जोड़ती है

विभाग की मंत्री आतिशी ने इस परियोजना को मंजूरी दी है।

परियोजना को मंजूरी देते हुए, पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने कहा अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए शहर में विश्व स्तरीय और सुरक्षित परिवहन नेटवर्क बनाना है। इस दिशा में सरकार ओखला एस्टेट रोड जो दक्षिणी-पूर्वी दिल्ली की एक महत्वपूर्ण सड़क है। उनकी सरकार इस मार्ग का अपग्रेडेशन करेगी। ये पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विभिन्न क्षेत्रों की समग्र कनेक्टिविटी को बढ़ाते हुए दिल्ली वालों



को सड़कों पर चलने के बेहतर अनुभव देने के विजन का हिस्सा है। इस सड़क पर रोजाना हजारों वाहनों की आवाजाही होती है। ऐसे में भारी ट्रैफिक के कारण सड़क की ऊपरी सतह पर कई जगह दरार आ गई हैं। पीडब्ल्यूडी ने विविध को सहायता से सड़क का निरीक्षण किया है और पीडब्ल्यूडी मंत्री ने जल्द इसके सुदृढ़ीकरण के निर्देश दिये हैं। मंत्री ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निर्माण के दौरान यांत्रिकों को कोई असुविधा न हो और काम है इसलिए गरीब परिवारों के लोगों के पास रहने के लिए बहुत कम

राहुल की मांग जाति गणना


राहुल गांधी ने संसद में जाति गणना का मुद्दा उठाते हुए 'हलवा आयोग' का प्रतीक के रूप में प्रयोग किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट प्रस्तुतीकरण के पहले परंपरागत 'हलवा आयोग' के बहाने बजट प्रक्रिया में हाशियाकृत समुदायों की सहभागिता पर सवाल उठाया। उन्होंने इस प्रतीक का प्रयोग करते हुए कहा कि केवल उच्चजातीय लोग ही हलवा बनाने में लगे थे जो इसे जनसंख्या के विशिष्ट लोगों में बांटते हैं। राहुल ने इसके लिए सदन में एक पोस्टर दिखाया जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने इसे नियम विरुद्ध बताया। हालांकि, लंबे समय से 'जाति गणना' का मुद्दा विवादों में घिरा है। इस पर संसद के वर्तमान सत्र में न केवल तीखी चर्चा हुई, बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूर्व केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच टकराव भी हो गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अनुराग ठाकुर का समर्थन करते हुए ट्विटर पर लिखा, 'मेरे युवा और ऊर्जावान साथी श्री अनुराग ठाकुर का यह भाषण अवश्य सुनने वाला है। इसमें तथ्यों और व्यंग्य का अच्छा मिश्रण है जिसने इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति उजागर कर दी है।' अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जो लोग अपनी जाति नहीं जानते हैं, वे जाति गणना की मांग कर रहे हैं। जाति गणना की मांग लंबे समय से जारी है और अब इस मुद्दे को 'इंडिया' समूह ने उठाया है। पैरोकारों का तर्क है कि यह विभिन्न जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियां समझने तथा लक्षित कल्याण योजनाएं बनाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन भारत में जातियों की संख्या इतनी अधिक है और वे विभिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न नाम लिखती हैं कि उनकी 'वैज्ञानिक डेटा' के आधार पर गणना लगभग असंभव है।



भारत में एक जटिल जाति व्यवस्था है जिसका सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता पर प्रभाव पड़ता है। विपक्ष का कहना है कि जाति गणना से असमानताओं का पता लगेगा जिससे सरकार इनकी ज्यादा प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकेगी। अनेक हाशियाकृत समुदाय आज भी भेदभाव तथा अवसरों की कमी का सामना कर रहे हैं। लेकिन इसे केवल 'जाति' से जोड़ना उचित नहीं होगा क्योंकि उच्चजातीय समझे जाने वाले अनेक परिवार भी लगभग समान विपन्नता का शिकार हैं। रंगनाथ मिश्र क्रमेटी ने कहा था कि जातीय आरक्षण में निहित स्वार्थ विकसित हो गए हैं जो आरक्षण के लाभ गरीब लोगों तक नहीं पहुंचते देते हैं। लेकिन विपक्ष व खासकर कांग्रेस पार्टी मुखर रूप से वर्तमान समय में जाति गणना की पैरवी कर रही है। कांग्रेस का यह कदम संभावित चुनावी लाभ को देखते हुए है क्योंकि वह लंबे समय तक ओबीसी आरक्षण की विरोधी रही है और मंडल आयोग रिपोर्ट तथा कर्पूरी ठाकुर रिपोर्ट पर दशकों तक खामोश रही है। कांग्रेस सरकार ने 2011 की जनगणना में जाति गणना को शामिल किया था, पर इसका डेटा कभी सार्वजनिक नहीं किया गया और न इस पर कोई कार्रवाई की गई। इसका कारण संभवतः डेटा का 'अविश्वसनीय' होना था। इन तथ्यों को देखते हुए ही अनुराग ठाकुर ने विपक्ष की मांग का कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि सरकार सामाजिक उत्थान के लिए पहले ही अनेक योजनायें चला रही है और जाति गणना से समाज में और विभाजन बढ़ेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष 'विभाजनकारी राजनीति' कर रहा है, जबकि सरकार का प्रयास समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल येन-केन-प्रकारेण सत्ता तक पहुंचने के लिए प्रयासरत हैं और वे 'जाति गणना' को हथियार बनाना चाहते हैं।

व्यक्तिगत आय कर में सुधार

वित्त मंत्री ने 2024-25 के बजट में व्यक्तिगत आय कर की ज्यादा आकर्षक 'नई व्यवस्था' बनाने के साथ पूंजी लाभ कर ढांचे को और तार्किक बनाया है।



उत्तम गुणा (लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत आय कर-पीआईटी को ज्यादा आकर्षक बनाने की 'नई व्यवस्था' लागू की है। इसके साथ ही उन्होंने पूंजी लाभ कर-सीजीटी ढांचे की प्रक्रिया को 'तार्किक' व 'सरल' बनाना जारी रखा है। इस प्रक्रिया की शुरुआत 2023-24 में की गई थी। सीतारमण ने नई पीआईटी व्यवस्था 2020-21 के बजट में शुरू की थी। 250,001-500,000 रुपये वार्षिक आय पर 5 प्रतिशत टैक्स बनाए रखते हुए उन्होंने 500,000 से अधिक आय पर टैक्स बढ़ा कर 500,001-750,000 तक 10 प्रतिशत, 750,001-1,00,000 तक 15 प्रतिशत, 1,00,001-1,250,000 तक 20 प्रतिशत तथा 1,250,001-1,500,000 रुपये तक 25 प्रतिशत टैक्स का प्राविधान किया था। 1,500,000 से अधिक आय पर 30 प्रतिशत टैक्स की व्यवस्था जारी है। लेकिन पुरानी व्यवस्था में जहां व्यक्ति अधिकतम 375,000 रुपये के दीर्घकालीन निवेश पर छूट और रियायतों का लाभ उठा सकते थे, नई व्यवस्था में इसकी अनुमति नहीं दी गई है।

हालांकि, लोगों को नई व्यवस्था पसंद करने या पुरानी व्यवस्था जारी रखने का विकल्प दिया गया है। 2023-24 के बजट में वित्त मंत्री ने कर संरचना को बदल कर 300,000 रुपये तक शून्य टैक्स, 300,001-600,000 रुपये तक 5 प्रतिशत टैक्स, 600,001-900,000 तक 10 प्रतिशत, 900,001-1,200,000 तक 15 प्रतिशत, 1,200,001-1,500,000 तक 20 प्रतिशत तथा 1,500,000 रुपये से अधिक आय पर 30 प्रतिशत टैक्स का प्राविधान किया था।

इसके साथ ही वेतनभोगी कर्मचारियों व पेंशनधारकों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये थी। यह स्थिति 2020-21 के पैकेज से बेहतर थी। इसके अंतर्गत 1,500,000 तक वार्षिक आय वाले व्यक्ति को 140,000 रुपये पर टैक्स देने की आवश्यकता थी, जबकि पुरानी योजना में कुछ कर रियायतों के साथ उसे



150,000 पर टैक्स देना होता था। इस कारण उसके पास 1,360,000 रुपये बचते थे, जबकि पुरानी व्यवस्था में उसके पास केवल 975,000 रुपये बचते थे। नई योजना में वेतनभोगी कर्मचारी को 750,000 रुपये की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता था। 2024-25 के बजट में वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैबों में और कमी की है। अब 300,000 तक कोई टैक्स नहीं है, 300,001-700,000 तक 5 प्रतिशत, 700,001-1,000,000 तक 10 प्रतिशत, 1,00,001-1,200,000 तक 15 प्रतिशत, 1,200,001-1,500,000 तक 20 प्रतिशत तथा 1,500,000 से ऊपर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा। इसके साथ ही अब वेतनभोगी कर्मचारी व पेंशनर 75,000 मानक कटौती का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार 1,500,000 रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले व्यक्ति 2023-24 में भुगतान योग्य कर से 15,000 रुपये बचा सकते हैं। ऐसे करदाता को अब केवल 125,000 रुपये पर टैक्स देना होगा। इसके साथ ही वेतनभोगी कर्मचारी को अब 825,000 रुपये तक वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि पहले यह सीमा 750,000 रुपये थी। महत्वपूर्ण रूप से आईटी रिटर्न फाइल करने वाले लगभग दो तिहाई लोग नई व्यवस्था स्वीकार कर चुके हैं। 2024-25 के बजट में ज्यादा लोगों

को नई टैक्स योजना में आने के लिए और सुविधायें दी गई हैं। सीजीटी के अनुसार करों की दरें व्यापक रूप से इक्विटी, शेयर, बांड, भौतिक परिसंपत्तियों, सूचीबद्ध या बिना सूची वाले, होल्डिंग, प्रायरिड, आदि पर निर्भर करती थीं। इसके कारण मनमानेपन, दुरुपयोग, करापवंचन व लंबी मुकदमेबाजी जैसी समस्यायें सामने आती थीं। पिछले साल सरकार ने इसमें परिवर्तन की शुरुआत की। 24 मार्च, 2023 को लोकसभा द्वारा पास वित्त विधेयक, 2023 में गैर-इक्विटी या 'डेट म्यूचुअल फंड'-डीएमएफ से पूंजीगत लाभ पर कर व्यवस्था में संशोधन किए गए थे। डीएमएफ एक ऐसी योजना है जिसमें निश्चित आय वाले उपकरणों में निवेश किया जाता है। इनमें कार्पोरेट व सरकारी बांड, कार्पोरेट डेट सिक्यूरिटी, शेयर बाजार उपकरण, आदि शामिल हैं जो पूंजीगत लाभ पेश करते हैं। पहले डेट फंड में यूनिट बनाए रखने से पूंजीगत लाभ को तीन साल या उससे अधिक तक बनाए रखने को दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ-एलटीसीजी माना जाता था और इस पर 'इंडेक्सेशन' लाभ के साथ 20 प्रतिशत टैक्स लगता था। इसमें मुद्रास्फीति से प्रभावित निवेश की गाना होती थी जिससे पूंजीगत लाभ और कर देयता घटती थी। तीन साल से कम समय तक यूनिट बनाए

रखने पर पूंजीगत लाभ को अल्पकालीन पूंजी लाभ-एसटीसीजी माना जाता था और इसे व्यक्तिगत आय कर में टैक्स स्लैब में जोड़ दिया जाता था। 'स्सेसीफाइड म्यूचुअल फंड'-एसएमएफ के मामले में संशोधन के माध्यम से इसे समाप्त कर दिया गया है। इसका अर्थ उन म्यूचुअल फंडों से है जहां कुल धनराशि के 35 प्रतिशत से अधिक को घरेलू कंपनियों के इक्विटी शेयरों में लगाया जाता है। इसके परिणामस्वरूप एसएमएफ से प्राप्त लाभ को उस स्लैब के आधार पर कर योग्य माना जाएगा जिसमें पूंजीगत लाभ पर कर व्यवस्था में संशोधन किए गए थे। डीएमएफ एक ऐसी योजना है जिसमें निश्चित आय वाले उपकरणों में निवेश किया जाता है। इनमें कार्पोरेट व सरकारी बांड, कार्पोरेट डेट सिक्यूरिटी, शेयर बाजार उपकरण, आदि शामिल हैं जो पूंजीगत लाभ पेश करते हैं। पहले डेट फंड में यूनिट बनाए रखने से पूंजीगत लाभ को तीन साल या उससे अधिक तक बनाए रखने को दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ-एलटीसीजी माना जाता था और इस पर 'इंडेक्सेशन' लाभ के साथ 20 प्रतिशत टैक्स लगता था। इसमें मुद्रास्फीति से प्रभावित निवेश की गाना होती थी जिससे पूंजीगत लाभ और कर देयता घटती थी। तीन साल से कम समय तक यूनिट बनाए

रखने पर पूंजीगत लाभ को अल्पकालीन पूंजी लाभ-एसटीसीजी माना जाता था और इसे व्यक्तिगत आय कर में टैक्स स्लैब में जोड़ दिया जाता था। 'स्सेसीफाइड म्यूचुअल फंड'-एसएमएफ के मामले में संशोधन के माध्यम से इसे समाप्त कर दिया गया है। इसका अर्थ उन म्यूचुअल फंडों से है जहां कुल धनराशि के 35 प्रतिशत से अधिक को घरेलू कंपनियों के इक्विटी शेयरों में लगाया जाता है। इसके परिणामस्वरूप एसएमएफ से प्राप्त लाभ को उस स्लैब के आधार पर कर योग्य माना जाएगा जिसमें पूंजीगत लाभ पर कर व्यवस्था में संशोधन किए गए थे। डीएमएफ एक ऐसी योजना है जिसमें निश्चित आय वाले उपकरणों में निवेश किया जाता है। इनमें कार्पोरेट व सरकारी बांड, कार्पोरेट डेट सिक्यूरिटी, शेयर बाजार उपकरण, आदि शामिल हैं जो पूंजीगत लाभ पेश करते हैं। पहले डेट फंड में यूनिट बनाए रखने से पूंजीगत लाभ को तीन साल या उससे अधिक तक बनाए रखने को दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ-एलटीसीजी माना जाता था और इस पर 'इंडेक्सेशन' लाभ के साथ 20 प्रतिशत टैक्स लगता था। इसमें मुद्रास्फीति से प्रभावित निवेश की गाना होती थी जिससे पूंजीगत लाभ और कर देयता घटती थी। तीन साल से कम समय तक यूनिट बनाए

रखने पर पूंजीगत लाभ को अल्पकालीन पूंजी लाभ-एसटीसीजी माना जाता था और इसे व्यक्तिगत आय कर में टैक्स स्लैब में जोड़ दिया जाता था। 'स्सेसीफाइड म्यूचुअल फंड'-एसएमएफ के मामले में संशोधन के माध्यम से इसे समाप्त कर दिया गया है। इसका अर्थ उन म्यूचुअल फंडों से है जहां कुल धनराशि के 35 प्रतिशत से अधिक को घरेलू कंपनियों के इक्विटी शेयरों में लगाया जाता है। इसके परिणामस्वरूप एसएमएफ से प्राप्त लाभ को उस स्लैब के आधार पर कर योग्य माना जाएगा जिसमें पूंजीगत लाभ पर कर व्यवस्था में संशोधन किए गए थे। डीएमएफ एक ऐसी योजना है जिसमें निश्चित आय वाले उपकरणों में निवेश किया जाता है। इनमें कार्पोरेट व सरकारी बांड, कार्पोरेट डेट सिक्यूरिटी, शेयर बाजार उपकरण, आदि शामिल हैं जो पूंजीगत लाभ पेश करते हैं। पहले डेट फंड में यूनिट बनाए रखने से पूंजीगत लाभ को तीन साल या उससे अधिक तक बनाए रखने को दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ-एलटीसीजी माना जाता था और इस पर 'इंडेक्सेशन' लाभ के साथ 20 प्रतिशत टैक्स लगता था। इसमें मुद्रास्फीति से प्रभावित निवेश की गाना होती थी जिससे पूंजीगत लाभ और कर देयता घटती थी। तीन साल से कम समय तक यूनिट बनाए

आघात लगने से घाव भरने तक

अपनी इच्छाओं को समझकर और अपने कार्यों का विश्लेषण करके, हम खुद को ठीक करने के तरीके खोज सकते हैं।

किसी एक में हैं, और हमें नहीं पता कि इसके बारे में क्या करना है, इसलिए हम सोचते हैं कि जो हम चाहते हैं उसे पाने का एकमात्र तरीका किसी को चोट पहुंचाना है। तो, क्या यही एकमात्र तरीका है? क्या इसका पालन करना सही तरीका है? हम सभी जानते हैं कि यह गलत है क्योंकि इससे दोनों तरफ बहुत दर्द होता है, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि जिस चीज को हम बहुत चाहते हैं उसे कैसे पाएं या जिस चीज को हमें जरूरत नहीं है उसे कैसे दूर करें बिना किसी को दुख पहुंचाएं।



बहुत ज्यादा पीछा करने, पीछा करने और धक्का देने के बाद, जब हम अंततः दूसरे छोर से वांछित उत्तर पाने में विफल हो जाते हैं, तो हम दुखी महसूस करना शुरू कर देते हैं और फिर तुमने मुझे दुख

क्या सामने वाले व्यक्ति ने हमें ऐसा विश्वास करने के लिए प्रेरित किया कि वह भी वैसा ही महसूस करता है जैसा हम महसूस कर रहे हैं? क्या दोनों तरफ प्यार की भावनाएं एक-दूसरे के प्रति थीं? जब यह समझने का समय था कि वह क्या कह रहा है, तो हम हवा में प्यार के महल बना रहे थे, जब विपरीत व्यक्ति को कुछ जगह देने का समय था, तो हम अपने मजबूर प्यार और स्नेह से उस व्यक्ति का दम घोट रहे थे। क्या यह सही तरह का व्यवहार है? याद रखें! किसी भी तरह का एकरतफा रिश्ता बेहद दर्दनाक और हानिकारक होता है क्योंकि यह आपको किसी और के जीवन का एक खाली हिस्सा जैसा महसूस कराता है जैसे कि आप उनके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना कि वे आपके लिए हैं। इसलिए खुद को ऐसे दर्द और पीड़ा से बचाने के लिए, उस व्यक्ति के साथ स्पष्ट संवाद करना सबसे अच्छा है जिसके लिए आप भावनाएं रखते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के रिश्ते में हैं, लेकिन आपको अपनी भावनाओं को

व्यक्त करना होगा क्योंकि जब हम संवाद का द्वार खोलते हैं, तो हम अपना दिल खोलते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को व्यक्त करें क्योंकि अनकहे शब्दों का बोझ ढोना आप पर भारी पड़ सकता है। 100 बार %आई लव यू% दोहराने के बजाय जो आप वास्तव में महसूस करते हैं उसे जगह देने का समय था, तो हम अपने बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं कि हममें से ज्यादातर लोग अंदर से ही खून बहाना पसंद करते हैं और अपनी 'कोई बात न कहने' की ज़िद पर अड़े रहते हैं। इसलिए एक समझदार व्यक्ति हमेशा इन कारणों के बारे में सोचेगा जब वह आहत होता है, बजाय इसके कि 'मुझे क्यों?' पर समय बर्बाद करे। तो इतनी आसानी से हार मत मानो क्योंकि ऐसी सांसारिक चीजों के लिए, उस व्यक्ति के साथ स्पष्ट संवाद दुख पहुंचाता है उसे भूल जाओ लेकिन जो उसने तुम्हें सिखाया है उसे कभी मत भूलना। अपने सबक सीखो और आगे बढ़ो।

आप की बात

लव जिहाद पर शिकंजा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद पर शिकंजा कस कर सहायनीय कदम उठाया। आप दिन नाम ब्रह्मदेव को दोस्ती और शादी के झड़से देना, हिन्दू समाज की लड़कियों को प्रलोभन देकर प्रेम का ढोंग कर शादी के लिए दबाव बनाना और बाद में धर्मांतरण के लिए मजबूर करना जैसी बढ़ती घटनायें चिन्ता का विषय हैं। हिन्दू लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करना जैसे कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम युवाओं का शगल बन गया है। विडंबना है कि अपने नौजवानों की इस गलत व आपराधिक प्रवृत्ति पर रोक लगाने के बजाय मुस्लिम समाज का बड़ा हिस्सा इसमें सहायता करता दिखता है। इसे रोकना और

संसद में बहस

मौनसुन सत्र में बजट पर बहस केंद्र में रहनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, लेकिन राहुल गांधी ने बजट पर बहस में अनावश्यक व अताकिक रूप से जाति का मुद्दा उठा दिया। अब तथ्यपूर्ण, शालीन और तर्कपूर्ण बहस को हाईलाइट करना बहस का मकसद रह गया है। हमारे जन प्रतिनिधियों को सदन में इसकी भी चिन्ता नहीं रहती कि देश की 140 करोड़ जनता उनकी तरफबुद्धी आशा से देख रही है। उसे उम्मीद रहती है कि शायद इस बार उनके आर्थिक बोझ, महंगे जीवनयापन और अन्य परेशानियों को हल करने के लिए सभी मिलकर प्रयास करेंगे। लेकिन निर्वाचित होने के बाद अधिकांश जन प्रतिनिधियों का नया ही रूप सामने आता है। इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें आम जनता का ध्यान सिर्फ वोट लेने तक ही रहता है। बीच के 5 साल वह अपने निजी और राजनीतिक हित साधने में खर्च कर देते हैं। इस बार संसद चली तो जरूर, लेकिन विडंबना है कि अधिकांश सांसद भविष्य की राजनीति और चुनावी गोटें बिछाने के दृष्टिकोण से एक दूसरे पर आरोप लगाने में ही व्यस्त रहे।

मौसम संबंधी चेतावनी

गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि केंद्र ने केरल सरकार को वायनाड त्रासदी के एक सप्ताह पहले ही चेतावनी दी थी कि भारी बारिश या भूस्खलन की संभावना है। अगर केंद्र सरकार या मौसम विभाग अधिकृत रूप से किसी राज्य सरकार को मौसम खराब होने संबंधी आपदा या संकट की चेतावनी देता है तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अमित शाह ने अपने बयान में यह भी कहा कि अतीत में ओडिशा और गुजरात राज्य सरकारों ने केन्द्र द्वारा दी गई मौसम संबंधी सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई कर जनहानि लगभग शून्य करने में सफलता प्राप्त की थी। भारतीय

क्वाड बैठक

टोकियो में हुए क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में परस्पर साझेदारी और अनेक वैश्विक समस्याओं पर स्पष्ट संदेश दिया गया। इस बैठक से भारत और क्वाड में शामिल अमेरिका, जापान व आस्ट्रेलिया के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा के बाद क्वाड देशों के संबंधों में दारू का आशंकाएं गलत साबित हुई हैं। वर्ष के अंत में भारत में होने वाली क्वाड बैठक के लिए भी यह एक शुभ संकेत है। बैठक में चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने अच्छी समझ और सामंजस्य का प्रदर्शन किया है। क्वाड गठबंधन भारत के लिए खासतौर से महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे लगातार अपने पड़ोसी चीन का आक्रामकता का सामना करना पड़ता है। चीन के अन्य क्वाड देशों के साथ व्यापारिक संबंध होने के बावजूद वे भी उसकी विस्तारवादी व र्वचस्ववादी नीतियों से परेशान हैं। हालांकि, भारत राजनयिक स्तर पर चीन से संबंध सुधारने के हर संभव प्रयास करता है तथा विदेश मंत्री जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार किया है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्वाड महत्वपूर्ण शक्ति है।

हम विकास का समर्थन करते हैं, विस्तारवाद का नहीं: पीएम

भाषा। नई दिल्ली

भारत और वियतनाम ने अपने रणनीतिक संबंधों को विस्तार देने के लिए बृहस्पतिवार को एक कार्ययोजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नियम आधारित हिंद-प्रशांत के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया और इस बात पर जोर दिया कि भारत विकास का समर्थन करता है, विस्तारवाद का नहीं। यह टिप्पणी क्षेत्र में चीन के सैन्य रुख के प्रति चिंताओं के बीच आई है। मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह के बीच व्यापक वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए छह समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए तथा तीन अन्य दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया।

यह भी निर्णय लिया गया कि भारत वियतनाम को 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान करेगा, ताकि दक्षिण-पूर्व एशियाई देश को समुद्री सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।

डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी शुरू करने के लिए दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। चिन्ह मंगलवार रात तीन दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे थे। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक संबंधों को और आगे बढ़ाना है। मोदी ने अपने मीडिया वक्तव्य में कहा, हमारी एक्ट ईस्ट नीति और हमारी हिंदू-प्रशांत दृष्टि में वियतनाम हमारा महत्वपूर्ण साझेदार है... हम विस्तारवाद का नहीं, विकासवाद का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, हम एक स्वतंत्र, खुले, नियम-आधारित और सहमत हैं कि आपसी व्यापार क्षमता को साकार करने के लिए आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए।

वियतनाम आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन) का एक महत्वपूर्ण देश है। मोदी ने कहा, हमने हरित अर्थव्यवस्था और नई उभरती विकास को गति दी है। इससे आपसी सहयोग के कई नए क्षेत्र खुल रहे हैं। और

बंदरगाह विकास में एक-दूसरे की क्षमताओं का आपसी लाभ के लिए उपयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने वियतनाम के लोगों को भारत के बौद्ध सर्किट में आने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि और हम चाहते हैं कि वियतनाम के युवा नालंदा विश्वविद्यालय का भी लाभ उठाएं। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले एक दशक में भारत-वियतनाम संबंधों में 'विस्तार और प्रगढ़ती आई है। पिछले 10 वर्षों में हमने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया है। हमारे द्विपक्षीय व्यापार में 85 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, उर्जा, प्रौद्योगिकी और विकास साझेदारी में आपसी सहयोग बढ़ा है। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में आपसी सहयोग ने नई गति पकड़ी है। मोदी ने कहा, पिछले एक दशक में कनेक्टिविटी बढ़ी है। और अगर हमारे बीच 50 से अधिक सीधी उड़ानें हैं। इसके साथ ही पर्यटन में लगातार वृद्धि हो रही है और लोगों को ई-वीजा की सुविधा भी दी गई है।

झारखंड में भाजपा के अटारह विधायक विधानसभा से निलंबित, मार्शलों की मदद से बाहर निकाला गया

कहा कि भाजपा विधायकों ने पुरख और महिला मार्शलों से दुर्व्यवहार किया और सदन के भीतर से सोशल मीडिया मंच पर वीडियो अपलोड कर नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा, मैं भाजपा विधायकों के आचरण से बहुत दुखी हूं। यह झारखंड के 24 साल के इतिहास में एक काला दिन है। विपक्ष के नेता अमर कुमार बाउरी ने आरोप लगाया कि झारखंड में तानाशाही है क्योंकि भाजपा विधायकों ने 1929 में दम नहीं फेंके जैसा कि सदनों में दिल्ली विधानसभा में क्रान्तिकारियों ने किया था, बल्कि उन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसक मार्ग का अनुसरण किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) सरकार के कहने पर भाजपा विधायकों के खिलाफ कार्वाई की गई है। विपक्षी दल भाजपा और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन (आजसू) पार्टी के विधायकों को मार्शल ने देर

रात सदन से बाहर निकाल दिया था। उन्होंने अपराधन करीब तीन बजे सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी आसन के समीप से हटने से इनकार कर दिया था जिसके बाद उन्हें सदन से निकालकर परिस्तर में लाया गया।

कई भाजपा विधायक बुधवार रात को विधानसभा इमारत के प्रवेश द्वार के समीप परिस्स के फर्श पर चादर बिछाकर और कंबल ओढ़कर सोए। सदन की कार्यवाही बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे फिर शुरू हुई। भाजपा विधायक सदन के कार्यवाही शुरू होने से पहले आसन के समीप आ गए और उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांाते हुए नारे लगाए। उन्हें आसन के समक्ष कुछ दस्तावेजों की फाड़ते हुए भी देखा गया। सत्र शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को बहस करते हुए भी देखा गया।

हंगामा जारी रहने पर महतो ने 18 भाजपा विधायकों को निलंबित कर

दिया। जब उन्होंने निलंबित होने के बाद भी सदन से बाहर जाने से इनकार कर दिया तो अध्यक्ष ने मार्शलों को बुलाया जिन्होंने विपक्षी सदस्यों को बाहर निकाला।

अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा की आचार समिति मामले की जांच करेगी और एक सप्ताह के भीतर उन्हें एक रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। भाजपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर पत्रकारों से कहा कि अध्यक्ष ने राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीति सरकार के इशारे पर लोकंत्र की हत्या कर दी। विपक्ष के नेता अमर बाउरी ने दावा किया कि बृहस्पतिवार की कार्वाई दिखाती है कि राज्य सरकार एक तानाशाह बन गई है। बाउरी ने कहा, हम सरकार से लोगों से जुड़े मुद्दों पर प्रश्नों का जवाब देने का अनुरोध करते हैं। जो भी हुआ, वह विपक्षी विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश है।

एकनाथ शिंदे ने फडणवीस को चुनौती को लेकर उद्भव पर साधा निशाना

भाषा। मुंबई/नागपुर

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना (यूबीटी)प्रमुख उद्भव ठाकरे पर बृहस्पतिवार को निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग दूसरों की चुनौती देने की बात कर रहे हैं, उन्हें याद दतना चाहिए कि क्या उनमें ऐसा करने की ताकत है। ठाकरे ने बुधवार को फडणवीस को चुनौती देते हुए कहा, या तो आप वहां होंगे, या मैं। ठाकरे ने कहा, अनिल देशमुख ने हाल ही में कहा था कि कैसे फडणवीस ने मुझे और (उद्भव के बेटे) आदित्य को सलाखों के पीछे डालने की योजना बनाई थी। सब कुछ सहन करने के बाद, अब मैं हड़ संकल्प के साथ खड़ा हूं। या तो आप वहां होंगे, या मैं रहूंगा।

ठाकरे ने यह वादा कहकर संकेत दिया कि दो पूर्व अच्छे मित्रों के बीच संघर्ष कितने कटु हो गए हैं। शिंदे ने कहा कि राजनीति में किसी को भी

दूसरों को पूरी तरह से खत्म करने की बात नहीं करनी चाहिए। शिंदे ने कहा, जो लोग चुनौती देने की बात करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं। इसके लिए किसी व्यक्ति को ताकत की जरूरत होती है। बेतरीब टिप्पणी करने की तरह, कोई भी दूसरे को खत्म नहीं कर सकता। भाजपा विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष (जेपी नड्डा की जगह हो अब केंद्रीय मंत्री हैं) पद पर फडणवीस के नाम पर विचार किए जाने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर बावनकुले ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला करेगा। उन्होंने कहा, हालांकि, देवेंद्र फडणवीस के पास बहुत बड़ा संगठनात्मक अनुभव है। उन्होंने महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष के रूप में काम किया है और उन्हें राष्ट्रीय संगठनात्मक अनुभव भी है, लेकिन महाराष्ट्र को देवेंद्र फडणवीस की दृष्टि की जरूरत है।

गिरकर और फडणवीस पर हमला करके अपना मानसिक दिवालियापन दिखा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ हैं और महायुक्ति (शिवसेना, भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सत्तारूढ़ गठबंधन) विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष (जेपी नड्डा की जगह हो अब केंद्रीय मंत्री हैं) पद पर फडणवीस के नाम पर विचार किए जाने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर बावनकुले ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला करेगा। उन्होंने कहा, हालांकि, देवेंद्र फडणवीस के पास बहुत बड़ा संगठनात्मक अनुभव है। उन्होंने महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष के रूप में काम किया है और उन्हें राष्ट्रीय संगठनात्मक अनुभव भी है, लेकिन महाराष्ट्र को देवेंद्र फडणवीस की दृष्टि की जरूरत है।

विफलता का आरोप लगाया था। वायनाड का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड़ा के बड़ा पहूंचने से वायनाड के निवासियों को यहीं राहत मिली। लोगों ने भाई-बहन का मजंगोशी से स्वागत किया और नेहरू-गांधी परिवार के सदस्यों ने भूखलन और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया।

हिमाचल/उतराखंड ...

यहां सैलाब व भूखलन के कारण लापता हुए 36 लोगों की तलाश की जा रही है। झांकड़ी में समेज खुडू में हाइड्रो प्रोजेक्ट के नजदीक बादल फटने से आये सैलाब के कारण लोगों को बचाने के लिए प्रशासन ने बचाव अभियान तेज कर दिया है। सैलाब में कई परिवार व हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के सात कर्मचारी सहित 36 लोग लापता हैं। ।

उच्चतम न्यायालय...

ऐसा व्यवहार किया जैसे कोई गुंडा मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में घुस आया हो। उच्च न्यायालय के समक्ष उसकी पूरी दलील यह थी कि मालीवाल आरोप कम बर्तन हैं। सिंघवी ने कहा कि घटना के दिन वह पुलिस थाने आई थीं, फिर बिना से कुछ कहे वापस आ गईं लेकिन फिर तीन दिन बाद उन्होंने प्रार्थमिकी दर्ज कराई। पीठ ने कहा, वह हैरान हैं, क्या एक युवती से

हैं। अगर इस तरह का व्यक्ति गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकता, तो कौन कर सकता है। न्यायमूर्ति सू्र्यकांत ने कहा, रिकॉर्ड देखिए, क्या ड्राइंग रूम (मुख्यमंत्री आवास) में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने उसके (बिभव कुमार) खिलाफ बोलने की हिम्मत की। हमें लगता है कि उसे शर्म भी नहीं आई।

राज्यों को...

जबकि न्यायमूर्ति बी आर गर्वई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पंकज मिथल न्यायमूर्ति सीशा चंद्र मिश्रा और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने अपने-अपने फैसले लिखे। न्यायमूर्ति त्रिवेदी को छोड़कर अन्य पांच न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश के निष्कर्षों से सहमत थे। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने अपने 85 पृष्ठों के असहमति वाले फैसले में कहा कि केवल संसद ही किसी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर सकता है या बाहर कर सकती है, तथा राज्यों को इसमें फेरबदल करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने फैसला सुनाया कि अनुसूचित जातियां एक सजातीय वर्ग हैं, जिन्हें आगे उप-वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने लिखा, अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचना में अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध जातियां, नस्लें या जनजातियां को विभाजित/उप-

यात्रियों को केदारनाथ यात्रा स्थगित करने की सलाह, बारिश से 12 लोगों की मौत

देहरादून। भारी बारिश के कारण रद्दप्रयाग प्रशासन ने यात्रियों से बृहस्पतिवार को अपनी केदारनाथ यात्रा स्थगित करने को कहा जबकि उतराखंड के विभिन्न स्थानों पर बुधवार से वर्षा संबंधी घटनाओं में 12 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और करीब छह अन्य घायल हो गए। गण्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, नैनीताल जिले के हल्द्वानी में एक बच्चे के नाले में बहने की भी सूचना है जिसकी तलाश की जा रही है। बुधवार रात करीब साढ़े नौ बजे भारी बारिश से गौरीकुंडेदारनाथ पैदल रास्ते पर भीमबली में 2025 मीटर का मार्ग बह गया तथा पहाड़ी से बड़ेबड़े पत्थर आ गए। केंद्र के अनुसार, इस दौरान वहां फसे 450 यात्रियों को गढ़वाल मंडल विकास निगम के अतिथि गृहों एवं पुलिस चौकी में ठहराया गया था। सुबह शुरू हुए बचाव अभियान में अब तक 200 यात्रियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। जबकि अन्य को वैकल्पिक पैदल रास्तों के जरिए वहां से निकाला जा रहा है।

केदारनाथ जाने वाले रास्ते के क्षतिग्रस्त होने के मद्देनजर रद्दप्रयाग जिला प्रशासन की ओर से यात्रियों को उनकी केदारनाथ यात्रा स्थगित करने की सलाह दी गई है। इस संबंध में एक परामर्श जारी कर कहा गया है कि केदारनाथ दर्रा नालों के लिए रद्दप्रयाग तक पहुंचने योग्यता फिलहाल जहां कभी भी, वहीं सुरक्षित रूके रहें और फिलहाल अपनी केदारनाथ धाम यात्रा को स्थगित कर दें। परामर्श में कहा गया है कि इस समय सोनप्रयाग और मोटमाली में अर्धेदम का भी स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है और मार्ग सही होने व यात्रा के सुचारु होने की सूचना अलासे से दी जाएगी। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जल चेतारवी स्तर के आसपास होने के कारण पार्किंग क्षेत्र भी खाली करवा दिया गया है। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि रायपुर क्षेत्र की एक नहर में बुधवार रात दो व्यक्ति डूब गए। उनके शव बरामद कर लिए गए हैं जिनकी पहचान सुंदर सिंह और अर्जुन सिंह राणा के रूप में हुई है। हरिद्वार जिले के रूड़की क्षेत्र के भारपुर गांव में भारी बारिश से एक मकान ढह गया जिससे उसके मलबे के नीचे दबने से चार व्यक्तियों की मौत हो गई तथा 10 अन्य घायल हो गए जिनमें से आठ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

रूड़की बस अड्डे पर देर रात करीब साढ़े 11 बजे बिजली का करंट लगने से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। टिहरी जिले के घनसाली गांव में बादल फटने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। टिहरी के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी बृजेश भट्ट ने बताया कि मलबे से भानु प्रसाद (50) और उनका पत्नी नीलम देवी (45) के शव बरामद हुए जबकि उनके पुत्र विपिन (28) को घायल अवस्था में निकाला गया। उन्होंने बताया कि देर रात करीब दो बजे सांस लेने में शिकायत के कारण विपिन को एम्स ऋषिकेश ले जाया जा रहा था लेकिन देर रात उसने दम तोड़ दिया।

चमोली जिले की गैरसैन तहसील के कुण्जबल गांव में बीती रात भारी बारिश के दौरान अचानक पहाड़ी से आया मलबा एक मकान पर गिर गया जिससे उसमें दबकर एक महिला की जान चली गई। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बुधवार रात भारी बारिश से उफनाए एक नाले में एक सत वर्षीय बच्चा रिजवान बह गया। पुलिस और एसीडीआरएफ द्वाय उसकी तलाश की जा रही है। मौसम विभाग से मिली सूचना के अनुसार, पिछले 24 घंटों में अकेले देहरादून में ही 172 मिमी बारिश दर्ज की गई। हरिद्वार के रोशनाबाद में सर्वाधिक 210 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई जबकि रायवाला में 163 मिमी, हल्द्वानी में 140 मिमी, हरिद्वार में 140 मिमी, रूड़की में 112 मिमी, नरेंद्र नगर में 107 मिमी, धनोल्टी में 98 मिमी, चकराता में 92 मिमी और नैनीताल में 89 मिमी बारिश दर्ज की गई। गण्य में अतिवृष्टि की स्वर्ण निगरानी कर रहे मुख्यमंत्री ने बारिशकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा है। प्रदेशवासी और राज्य में आने वाले यात्रियों की सुरक्षा कानूनी स्वतंत्र्य प्राथमिकता है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में धामी ने कहा कि प्रदेश में बुधवार रात हुई भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन प्रभावित होने की सूचना मिली तथा बचाव दलों ने रात भर अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बाद में, मुख्यमंत्री ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर स्थान की स्थिति का जायजा लिया और सचिव, आपदा प्रबंधन को जिलाधिकारियों से समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।

प्राप्त हुआ और सिस्टम के तीन निर्माताओं ने अपनी उत्पदन क्षमता बढ़ा दी है। वैष्णव ने कहा, दो नए निर्माता भी इसमें शामिल हो रहे हैं, 8,000 से अधिक इंजीनियरों और तकनीशियनों को प्रशिक्षित किया गया है, छह विश्वविद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रम में सुरक्षा प्रणाली कवच को शामिल किया है।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि...

उच्चतम न्यायालय में एक क्वैपंट भी दाखिल करेंगे। वाद की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति की थी कि यह वाद समय सीमा से बांधित है क्योंकि जजमेदारी नहीं लेने के लिए वैष्णव पर कटाक्ष किया और उन्हें 'डिरेलमेंट मिस्टेकर' कहा। लोकसभा में अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए वैष्णव ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कथित तौर पर पर्याप्त कदम नहीं उठाने के लिए पिछली यूपीए सरकार की अलोचना की। वैष्णव ने कहा, दुर्भाग्य से, कांग्रेस के 58 वर्षों के शासन के दौरान, 2014 तक भारतीय रेलवे पर एक किलोमीटर पर भी स्वचालित ट्रेन-सुरक्षा प्रणाली लागू नहीं की गई थी। मैं स्वीकार करता हूं कि कई प्रयोग किए गए थे, लेकिन इस सफल बनाने के लिए कोई केंद्रित दृष्टिकोण नहीं था। वैष्णव ने कहा कि कवच पुनर्निर्माण करने की मांग के साथ दायर किए गए हैं।



के आम चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में दर्ज किए गए मतों में कथित विसंगतियों पर गंभीर चिंता जताई। साल 2019 में भी इस मुद्दे को उठाया गया था जब एडीआर और कोमन कॉज ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी।

उन्होंने निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को यह निर्देश देने की मांग की थी कि वह गहन मिलान से पहले अनंतिम आंकड़ों के आधार पर परिणामों की घोषणा करना बंद कर दे। याचिका में 2019 के लोकसभा चुनाव का हवाला दिया गया, जहां

^[1] निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को यह निर्देश देने की मांग की थी कि वह गहन मिलान से पहले अनंतिम आंकड़ों के आधार पर परिणामों की घोषणा करना बंद कर दे

